FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

मिसल संख्या 6 / 2024

किस्म मुकदमा :– अन्तर्गत धारा 131,132 एल.आर.एक्ट 1956 बाबत रास्ता कायमी।

सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा पंचायत समिति खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.06.2024	कार्यालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) के पत्रांक राजस्व / 2022 / 469 दिनांक 06.07.2022 से अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बाबत रास्ता कायमी का उक्त प्रस्ताव / प्रार्थना पत्र आज पेश हुआ। प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतडी से प्राप्त प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतडी के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य मे राजस्व ग्राम गोठड़ा स्थित राजकीय भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 1 के हाल खसरा नम्बर 471, 472, 473 किस्म गैर मुमकीन पहाड में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। परिपत्र का अवलोकन करने पर पाया कि स्थायी रास्ते राजकीय और व निजी भूमियो मे से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख मे नही है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे है, जो बारहमासी है तथा मौसम / ऋतुओ के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। यहा परिपत्र की मशा केवल राजकीय भूमि मे से रास्ता कटान की न होकर दोनो प्रकार की भूमियो से है। अर्थात [illegible] बीच मे यदि राजकीय भूमि हो तो दोनो प्रका[illegible] शामिल है। प्रस्ताव के सलग्न [illegible] रास्ता अन्य किसी [illegible] जोडता है। ग्राम पचायत गोठड़ा के प्रस्ताव संख्या [illegible] दिनाक 22.03.2022 के अनुसार उक्त रास्ता निजी प्र[illegible]न हेतु प्रतीत होता है। जिससे राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमाक प.3 (52) राज 6 / 12 / 4 दिनाक 14.06.2013 के परिप्रेक्ष्य मे राजस्व हानि होना सभावित है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा

:- आदेश :-

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ★ जिला- नीमकाथाना (राज.) ★

(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:39 IST
Reason: SelfAttested